बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

ज्ञाप संख्या–1/विकास–यो0–240/2026–169 स्वी0 पटना, दिनांक– 29 जुलाई, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अंतर्गत गन्ना की खेती में जैविक उपादान के उपयोग को प्रोत्साहन की योजना " के कार्यान्वयन हेतु कुल 402.50 लाख रू0 (चार करोड़ दो लाख पचास हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजनांतर्गत गन्ना की खेती में जैविक उपादान के उपयोग को प्रोत्साहन की योजना " के कार्यान्वयन हेतु कुल 402.50 लाख रू0 (चार करोड़ दो लाख पचास हजार रूपये) के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

(2) गन्ना एक प्रमुख नगदी फसल है, परंतु इसकी खेती में जैविक उपादानों का उपयोग अभी सीमित है। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा, पर्यावरण एवं जल स्रोत प्रभावित हो सकता है। गन्ना खेती में जैविक एवं पर्यावरण–अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा देना आवश्यक है। जैविक उपादानों के उपयोग से मृदा स्वास्थ्य, गन्ने की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं चीनी रिकवरी में सुधार होगा। उत्पादन लागत में कमी आने से किसानों की आय में वृद्धि होगी। चतुर्थ कृषि रोडमैप के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु गन्ना खेती में जैविक एवं पर्यावरण–अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा देना आवश्यक है। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के दृष्टिगत् यह योजना स्वीकृत किया जाता है।

(3) योजना का कार्यान्वयन सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा किया जाएगा। इस योजनांतर्गत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

(4) संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा योजना का कार्यान्वयन केन केयर पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन एवं अन्य प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा।

(5) योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट–1** तथा कार्यालयवार स्वीकृत योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट–2** के रूप में संलग्न है। **परिशिष्ट–3** में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेगें। योजना के कार्यान्वयन की समय सीमा 31 मार्च, 2027 तक होगा।

(6) इस योजनांतर्गत लाभार्थियों को अनुदान राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से किया जाएगा। योजनांतर्गत श्रेणीवार स्वीकृत राशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। किसी भी प्रकार के गलत भुगतान के लिए संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास पूर्णतः जवाबदेह होंगे।

(7) उप निदेशक, ईख विकास एवं संयुक्त निदेशक, ईख विकास समय–समय पर योजनाओं का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे। सहायक निदेशक, ईख विकास, योजना के शत प्रतिशत जांच के लिए उत्तरदायी होगें। संबंधित जिलों के जिलाधिकारी द्वारा इस योजना का समीक्षा समय–समय पर किया जा सकेगा। जिला में आयोजित कृषि टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक में भी योजना की समीक्षा की जाएगी।

28/7/2026

(8) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु गन्ना उद्योग विभाग प्रशासी विभाग होगा एवं ईखायुक्त योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे। क्षेत्रीय स्तर पर उप निदेशक, ईख विकास अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्ण रूप से जवाबदेह होगें।

(9) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट शीर्षवार उपबंधित राशि एवं विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रम सं0	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	उपबंधित राशि (लाख रू0)	निकासी हेतु स्वीकृत राशि/विकलनीय राशि (लाख रू0)
1.	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष –00– लघु शीर्ष– 108 वाणिज्यिक फसलें मांग संख्या–45 उप शीर्ष– 0109 ईख विकास विपत्र कोड– 45–2401001080109	33 01 सब्सिडी	12818.50	332.86750
2.	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष –00 लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग संख्या–45–उपशीर्ष–0108–ईख विकास विपत्र कोड संख्या–45–2401007890108	33 01 सब्सिडी	2480.00	64.40000
3.	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष –00 लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–मांग संख्या–45–उपशीर्ष– 0129 –ईख विकास विपत्र कोड संख्या– 45–2401007960129	33 01 सब्सिडी	201.50	5.23250
	योग–		**15500.00**	**402.50**

(10). इस योजना का विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

(11). योजनाओं में शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय लक्ष्य के अधीन योजनाओं के भौतिक लक्ष्य में अंतर परिवर्तन किया जा सकेगा।

(12). इस योजनांतर्गत किसानों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने एवं अन्य आवश्यक प्रक्रिया Cane Care Portal के माध्यम से किया जायेगा। सॉफ्टवेयर में निहित प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस योजनांतर्गत अवयववार वित्तीय लक्ष्य के अंतर्गत ही भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी।

(13) यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561(वि॰)2 दि0–17.04.98 के आलोक में स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत राशि के विरूद्ध वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा विमुक्त किए गए राशि के अधीन आवंटन निर्गत किया जा सकेगा।

(14) योजना के संलेख प्रस्ताव पर वित्त विभागीय संकल्प संख्या–343/वि० दिनांक–09.04.2026 के आलोक में स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा दिनांक–22.07.2026 को आयोजित बैठक में प्राप्त है।

(15) स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–01/विकास–यो0–240/2026 के पृष्ठ सं0–09/टि॰ पर प्राप्त है।

(16) स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका सं0–01/विकास–यो0–240/2026 के पृष्ठ सं0–09/टि॰ पर प्राप्त है।

(17) वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

<u>अनुलग्नक–यथोक्त:</u>

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर)

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–240/2026–169 ई0 पटना, दिनांक– 29 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/बेतिया/मोतीहारी/सीतामढ़ी/सिवान/समस्तीपुर/भागलपुर/पूर्णियाँ/गयाजी/दरभंगा/जमुई/मुजफ्फरपुर/सहरसा/भोजपुर/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/2026

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–240/2026–169 ई0 पटना, दिनांक– जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, मोतिहारी एवं पटना/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास तथा प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल/महाप्रबंधक, प्रतापपुर चीनी मिल/सचिव, बिस्मा/संबंधित के॰भी॰के॰/राज्य के कृषि विश्वविघालय/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/SIO, NIC, Patna/वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/7/2026

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–240/2026–169 ई0 पटना, दिनांक– 29 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– सभी जिलाधिकारी/निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ–क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/2026

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–240/2026–169 ई0 पटना, दिनांक– 29 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

29/7/2026

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–1

गन्ना की खेती में जैविक उपादान के उपयोग को प्रोत्साहन की योजना

वित्तीय वर्ष 2026–27 का स्वीकृत कार्य योजना

क्र0सं0	कार्य अवयव	अनुदान दर/अधिकतम सीमा (दोनों में से जो कम हो)	ईकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
1	2	3	4	5	6
1	फेरोमोन ट्रैप /लाइट ट्रैप पर अनुदान	मूल्य का 75 प्रतिशत अधिकतम 900 रू० प्रति एकड़	एकड़	3000	27.00
2	स्टीकी ट्रैप/जैव–कीटनाशी (ट्राइकोकार्ड)	मूल्य का 75 प्रतिशत अधिकतम 350 रू० प्रति एकड़	एकड़	3000	10.50
3	जैव–फफुंदनाशी (ट्राइकोडर्मा)/जैव–कीटनाशी (ब्यूवेरिया, मेटाराइजियम) पर अनुदान	मूल्य का 75 प्रतिशत अधिकतम 500 रू० प्रति एकड़	एकड़	5000	25.00
4	हरी खाद (ढैंचा) पर अनुदान	मूल्य का 75 प्रतिशत अधिकतम 500 रू० प्रति एकड़	एकड़	3000	15.00
5	कम्पोस्ट/वर्मीकम्पोस्ट पर अनुदान	मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 3000 रू० प्रति एकड़	एकड़	10000	300.00
6	जैव उर्वरक (पी.एस.बी.) / राइजोबियम /एजोटोबेक्टर/एसिटोबैक्टर) पर अनुदान	मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 500 रू० प्रति एकड़	एकड़	5000	25.00
	योग–				**402.50**

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–2 (पृ0–1)

वित्तीय वर्ष 2026–27 में " गन्ना की खेती में जैविक उपादान के उपयोग को प्रोत्साहन की योजना " का कार्यालयवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	संबद्ध चीनी मिल का नाम	विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी																							
			फेरोमोन ट्रैप /लाइट ट्रैप पर अनुदान @ मूल्य का 75 प्रतिशत अधिकतम 900 रू0 प्रति एकड़								स्टीकी ट्रैप/जैव–कीटनाशी (ट्राइकोकार्ड) @ मूल्य का 75 प्रतिशत अधिकतम 350 रू0 प्रति एकड़								जैव–फफूंदनाशी (ट्राइकोडर्मा)/जैव–कीटनाशी (ब्यूवेरिया, मेटाराइजियम) पर अनुदान @ मूल्य का 75 प्रतिशत अधिकतम 500 रू0 प्रति एकड़							
			सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग		सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग		सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग	
			भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय	भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय	भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय	भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय	भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय	भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय	भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय	भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय	भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय	भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय	भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय	भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	बगहा/हरिनगर/लौरिया	414	3.72600	80	0.72000	6	0.05400	500	4.50000	620	2.17000	120	0.42000	10	0.03500	750	2.62500	662	3.31000	128	0.64000	10	0.05000	800	4.00000
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	मंझौलिया/नरकटियागंज	414	3.72600	80	0.72000	6	0.05400	500	4.50000	537	1.87950	104	0.36400	9	0.03150	650	2.27500	703	3.51500	136	0.68000	11	0.05500	850	4.25000
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	एच0 पी0 सी0 एल0 बायोफ्यूल्स लि0, सुगौली	101	0.90900	22	0.19800	2	0.01800	125	1.12500	165	0.57750	32	0.11200	3	0.01050	200	0.70000	173	0.86500	34	0.17000	3	0.01500	210	1.05000
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	सिधवलिया/विष्णु सुगर मिल्स लि0, गोपालगंज	633	5.69700	122	1.09800	10	0.09000	765	6.88500	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	1054	5.27000	204	1.02000	17	0.08500	1275	6.37500
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	रीगा सुगर मिल, रीगा	124	1.11600	24	0.21600	2	0.01800	150	1.35000	165	0.57750	32	0.11200	3	0.01050	200	0.70000	207	1.03500	40	0.20000	3	0.01500	250	1.25000
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	हसनपुर सुगर मिल, हसनपुर, समस्तीपुर	414	3.72600	80	0.72000	6	0.05400	500	4.50000	537	1.87950	105	0.36750	8	0.02800	650	2.27500	703	3.51500	136	0.68000	11	0.05500	850	4.25000
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	–	21	0.18900	4	0.03600	0	0.00000	25	0.22500	25	0.08750	5	0.01750	0	0.00000	30	0.10500	33	0.16500	6	0.03000	1	0.00500	40	0.20000
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	बजाज हिन्दुस्तान सुगर मिल, प्रतापपुर	186	1.67400	36	0.32400	3	0.02700	225	2.02500	248	0.86800	48	0.16800	4	0.01400	300	1.05000	310	1.55000	60	0.30000	5	0.02500	375	1.87500
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	–	21	0.18900	4	0.03600	0	0.00000	25	0.22500	26	0.09100	4	0.01400	0	0.00000	30	0.10500	33	0.16500	6	0.03000	1	0.00500	40	0.20000
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	–	29	0.26100	5	0.04500	1	0.00900	35	0.31500	33	0.11550	6	0.02100	1	0.00350	40	0.14000	50	0.25000	10	0.05000	0	0.00000	60	0.30000
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	–	16	0.14400	3	0.02700	1	0.00900	20	0.18000	17	0.05950	3	0.01050	0	0.00000	20	0.07000	29	0.14500	6	0.03000	0	0.00000	35	0.17500
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया	–	21	0.18900	4	0.03600	0	0.00000	25	0.22500	25	0.08750	5	0.01750	0	0.00000	30	0.10500	33	0.16500	6	0.03000	1	0.00500	40	0.20000
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	–	16	0.14400	3	0.02700	1	0.00900	20	0.18000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	29	0.14500	6	0.03000	0	0.00000	35	0.17500
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)	–	21	0.18900	4	0.03600	0	0.00000	25	0.22500	25	0.08750	5	0.01750	0	0.00000	30	0.10500	33	0.16500	6	0.03000	1	0.00500	40	0.20000
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी	–	21	0.18900	4	0.03600	0	0.00000	25	0.22500	25	0.08750	5	0.01750	0	0.00000	30	0.10500	33	0.16500	6	0.03000	1	0.00500	40	0.20000
16	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	–	29	0.26100	5	0.04500	1	0.00900	35	0.31500	33	0.11550	6	0.02100	1	0.00350	40	0.14000	50	0.25000	10	0.05000	0	0.00000	60	0.30000
	योग–		2481	22.32900	480	4.32000	39	0.35100	3000	27.00000	2481	8.68350	480	1.68000	39	0.13650	3000	10.50000	4135	20.67500	800	4.00000	65	0.32500	5000	25.00000

परिशिष्ट–2 (पृ0–2)

वित्तीय वर्ष 2026–27 में " गन्ना की खेती में जैविक उपादान के उपयोग को प्रोत्साहन की योजना " का कार्यालयवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	संबद्ध चीनी मिल का नाम	विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी — हरी खाद (ढैंचा) पर अनुदान @ मूल्य का 75 प्रतिशत अधिकतम 500 रू0 प्रति एकड़								कम्पोस्ट/वर्मीकम्पोस्ट पर अनुदान @ मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 3000 रू0 प्रति एकड़								जैव उर्वरक (पी.एस.बी.) / राइजोबियम /एजोटोबेक्टर/एसिटोबेक्टर) पर अनुदान @ मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 500 रू0 प्रति एकड़								कुल योग			
			सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग		सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग		सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग		सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग
			भौतिक (एकड़)	वित्तीय	भौतिक (एकड़)	वित्तीय	भौतिक (एकड़)	वित्तीय	भौतिक (एकड़)	वित्तीय	भौतिक (एकड़)	वित्तीय	भौतिक (एकड़)	वित्तीय	भौतिक (एकड़)	वित्तीय	भौतिक (एकड़)	वित्तीय	भौतिक (एकड़)	वित्तीय	भौतिक (एकड़)	वित्तीय	भौतिक (एकड़)	वित्तीय	भौतिक (एकड़)	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	बगहा/हरिनगर/लौरिया	412	2.06000	80	0.40000	8	0.04000	500	2.50000	1323	39.69000	256	7.68000	21	0.63000	1600	48.00000	661	3.30500	128	0.64000	11	0.05500	800	4.00000	54.26100	10.50000	0.86400	65.62500
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	मंझौलिया/नरकटियागंज	410	2.05000	79	0.39500	6	0.03000	495	2.47500	1406	42.18000	272	8.16000	22	0.66000	1700	51.00000	703	3.51500	136	0.68000	11	0.05500	850	4.25000	56.86550	10.99900	0.88550	68.75000
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	एच0 पी0 सी0 एल0 बायोफ्यूल्स लि0, सुगौली	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	347	10.41000	67	2.01000	6	0.18000	420	12.60000	174	0.87000	33	0.16500	3	0.01500	210	1.05000	13.63150	2.65500	0.23850	16.52500
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	सिधवलिया/विष्णु सुगर मिल्स लि0, गोपालगंज	661	3.30500	128	0.64000	11	0.05500	800	4.00000	2109	63.27000	408	12.24000	33	0.99000	2550	76.50000	1054	5.27000	204	1.02000	17	0.08500	1275	6.37500	82.81200	16.01800	1.30500	100.13500
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	रीगा सुगर मिल, रीगा	165	0.82500	32	0.16000	3	0.01500	200	1.00000	413	12.39000	80	2.40000	7	0.21000	500	15.00000	207	1.03500	40	0.20000	3	0.01500	250	1.25000	16.97850	3.28800	0.28350	20.55000
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	हसनपुर सुगर मिल, हसनपुर, समस्तीपुर	414	2.07000	80	0.40000	6	0.03000	500	2.50000	1406	42.18000	272	8.16000	22	0.66000	1700	51.00000	703	3.51500	136	0.68000	11	0.05500	850	4.25000	56.88550	11.00750	0.88200	68.77500
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	–	25	0.12500	5	0.02500	0	0.00000	30	0.15000	66	1.98000	13	0.39000	1	0.03000	80	2.40000	33	0.16500	6	0.03000	1	0.00500	40	0.20000	2.71150	0.52850	0.04000	3.28000
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	बजाज हिन्दुस्तान सुगर मिल, प्रतापपुर	207	1.03500	40	0.20000	3	0.01500	250	1.25000	620	18.60000	120	3.60000	10	0.30000	750	22.50000	310	1.55000	60	0.30000	5	0.02500	375	1.87500	25.27700	4.89200	0.40600	30.57500
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	–	25	0.12500	5	0.02500	0	0.00000	30	0.15000	66	1.98000	13	0.39000	1	0.03000	80	2.40000	33	0.16500	6	0.03000	1	0.00500	40	0.20000	2.71500	0.52500	0.04000	3.28000
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	–	33	0.16500	6	0.03000	1	0.00500	40	0.20000	99	2.97000	19	0.57000	2	0.06000	120	3.60000	50	0.25000	10	0.05000	0	0.00000	60	0.30000	4.01150	0.76600	0.07750	4.85500
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	–	21	0.10500	4	0.02000	0	0.00000	25	0.12500	58	1.74000	11	0.33000	1	0.03000	70	2.10000	29	0.14500	6	0.03000	0	0.00000	35	0.17500	2.33850	0.44750	0.03900	2.82500
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया	–	25	0.12500	5	0.02500	0	0.00000	30	0.15000	66	1.98000	13	0.39000	1	0.03000	80	2.40000	33	0.16500	6	0.03000	1	0.00500	40	0.20000	2.71150	0.52850	0.04000	3.28000
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	–	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	58	1.74000	11	0.33000	1	0.03000	70	2.10000	29	0.14500	5	0.02500	1	0.00500	35	0.17500	2.17400	0.41200	0.04400	2.63000
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)	–	25	0.12500	5	0.02500	0	0.00000	30	0.15000	66	1.98000	13	0.39000	1	0.03000	80	2.40000	33	0.16500	7	0.03500	0	0.00000	40	0.20000	2.71150	0.53350	0.03500	3.28000
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी	–	25	0.12500	5	0.02500	0	0.00000	30	0.15000	66	1.98000	13	0.39000	1	0.03000	80	2.40000	33	0.16500	7	0.03500	0	0.00000	40	0.20000	2.71150	0.53350	0.03500	3.28000
16	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	–	33	0.16500	6	0.03000	1	0.00500	40	0.20000	101	3.03000	19	0.57000	0	0.00000	120	3.60000	50	0.25000	10	0.05000	0	0.00000	60	0.30000	4.07150	0.76600	0.01750	4.85500
	योग–		2481	12.40500	480	2.40000	39	0.19500	3000	15.00000	8270	248.10000	1600	48.00000	130	3.90000	10000	300.00000	4135	20.67500	800	4.00000	65	0.32500	5000	25.00000	332.86750	64.40000	5.23250	402.50000

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–'3'

वित्तीय वर्ष 2026–27 में " गन्ना की खेती में जैविक उपादान के उपयोग को प्रोत्साहन की योजना " का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उनके सामने श्रेणीवार स्वीकृत राशि तथा संबंधित कोषागार का नाम जिससे राशि की निकासी की जायेगी का विवरणी।

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय का नाम	संबद्ध चीनी मिल का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रू0 में)				कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
			सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	बगहा/हरिनगर/लौरिया	54.26100	10.50000	0.86400	65.62500	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	मंझौलिया/नरकटियागंज	56.86550	10.99900	0.88550	68.75000	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	एच0 पी0 सी0 एल0 बायोफ्यूल्स लि0, सुगौली	13.63150	2.65500	0.23850	16.52500	कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	सिधवलिया/विष्णु सुगर मिल्स लि0, गोपालगंज	82.81200	16.01800	1.30500	100.13500	कोषागार , गोपालगंज
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	रीगा सुगर मिल, रीगा	16.97850	3.28800	0.28350	20.55000	कोषागार, सीतामढ़ी
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	हसनपुर सुगर मिल, हसनपुर, समस्तीपुर	56.88550	11.00750	0.88200	68.77500	कोषागार, समस्तीपुर
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	–	2.71150	0.52850	0.04000	3.28000	कोषागार, मुजफ्फरपुर
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	बजाज हिन्दुस्तान सुगर मिल, प्रतापपुर	25.27700	4.89200	0.40600	30.57500	कोषागार, सिवान
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	–	2.71500	0.52500	0.04000	3.28000	कोषागार, भागलपुर
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	–	4.01150	0.76600	0.07750	4.85500	कोषागार, दरभंगा
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	–	2.33850	0.44750	0.03900	2.82500	कोषागार, सहरसा
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया	–	2.71150	0.52850	0.04000	3.28000	कोषागार, पूर्णियाँ
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	–	2.17400	0.41200	0.04400	2.63000	कोषागार, जमुई
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)	–	2.71150	0.53350	0.03500	3.28000	कोषागार, आरा (भोजपुर)
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी	–	2.71150	0.53350	0.03500	3.28000	कोषागार, गयाजी
16	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	–	4.07150	0.76600	0.01750	4.85500	कोषागार, पटना
	योग–	–	**332.86750**	**64.40000**	**5.23250**	**402.50000**	

ईखायुक्त, बिहार।